अनुबंध 1

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों
में निरीक्षण और लेखापरीक्षा प्रणालियों पर
मास्टर परिपत्र
(पैरा 4.4 के अनुसार)
संगामी लेखापरीक्षा पर नोट

1. प्रस्तावना

1.1 बैंकों में धोखाधड़ियों तथा भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार की पहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने जून 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में शाखाओं को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने, निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करने में उनकी सहायता करने तथा चूकों/अनियमितताओं का समय पर पता लगाने के लिए बड़ी और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं में संगामी लेखापरीक्षा की प्रणाली शुरू करने की सिफ़ारिश की थी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक अनौपचारिक समूह जिसमें कुछ बड़े वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने इस प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की थी समूह के विचार - विमर्श के बाद उभरे विचार विस्तार से नीचे दिए गए हैं जिन्हें अपनाने के बारे में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक विचार कर सकते हैं।

2. संगामी लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.1 संगामी लेखापरीक्षा वह परीक्षण है जो लेनदेन के साथ-साथ होता रहता है या यथासंभव इसे लेनदेन के समय के आस-पास ही किया जाता है। यह किसी लेनदेन और उसके परीक्षण के बीच के अंतराल को कम करने का एक प्रयास है जो एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसके प्रलेखीकरण से संबद्ध नहीं होता। जोर जाँच परीक्षण के बजाय मुख्य क्षेत्रों में वास्तविक परीक्षण पर दिया जाता है।

2.2 कोई संगामी लेखापरीक्षक किसी बैंक/शाखा प्रबंधक या किसी प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय का निर्णायक नहीं हो सकता। तथापि, लेखापरीक्षक को यह आवश्यक रूप से देखना होगा कि क्या लेनदेन या निर्णय मुख्यालय/निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीतिगत मानदंडों के दायरे में हैं, वे भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों या नीतिगत निर्धारणों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं तथा वे प्रत्यायोजित प्राधिकार के दायरे में हैं तथा प्रत्यायोजित प्राधिकार के प्रयोग की शर्तों का अनुपालन करते हैं।

3. कारबार/शाखाओं की व्याप्ति

3.1 प्रस्तावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

3.1.1 निवेश, अंतर बैंक उधार, बिल पुनर्भुनाई, स्टॉक ध निवेश योजना, क्रेडिट कार्ड प्रणाली तथा विदेशी मुद्रा कारबार सहित निधि प्रबंधन जैसे राजकोषीय कार्यकलाप करने वाले संबंधित मुख्यालय के विभाग/प्रभाग संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का कारबार करने वाले सभी शाखा कार्यालय, बड़ी शाखाएं तथा डीलिंग रूम की सतत लेखा परीक्षा की जाती है।

3.1.2 ऐसी समस्याग्रस्त शाखाएं जिनकी हालत बैंक के वार्षिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा रेटिंग में लगातार खराब होती जा रही है और जिनका आंतरिक लेखा कार्य अत्यंत खराब है, उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाए ।

3.1.3 बैंक आवश्यकता हाने पर अर्थात शाखाओं की संपूर्ण कार्यप्रणाली से संबंधित व्यावसायिक निर्णय के आधार पर अपने विवेक से अतिरिक्त शाखाओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं ।

4. शामिल किए जानेवाले कार्यकलाप

4.1 संगामी लेखा परीक्षा की मुख्य भूमिका लेनदेनों और सत्यापनों की साथ - साथ जांच करने एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में बैंक के प्रयासों को संपूरित करना है। विशेष रूप से यह देखा जाता है कि लेनदेनों को समुचित रूप से प्रलेखित तथा सत्यापित किया गया है। संगामी लेखापरीक्षक सामान्य तौर पर निम्नलिखित मदों को शामिल कर सकते है।

4.1.1 **नकदी**

4.1.1.1 किसी प्रकार की असामान्य प्राप्तियों एवं भुगतान के विशेष संदर्भ सहित दैनिक नकदी लेनदेन

4.1.1.2 आवक एवं जावक नकदी प्रेषणों का समुचित लेखांकन

4.1.1.3 मुद्रा तिजोरी लेनदेनों (यदि कोई हों) का समुचित लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी तुरंत सूचना देना

4.1.1.4 बड़ी राशि वाले नकदी भुगतान पर किए गए खर्च

4.1.2 निवेश

4.1.2.1 यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री के संबंध में शाखा ने अपने प्रधान कार्यालय के अनुदेशों के अनुसार अपनी प्रत्यायोजित शक्ति के भीतर ही काम किया है ।

4.1.2.2 यह सुनिश्चित किया जाए कि शाखा की बहियों में दर्ज़ प्रतिभूतियां शाखा में मूर्त/भौतिक रूप में रखी जाती हैं।

4.1.2.3 यह सुनिश्चित किया जाए कि शाखा बैंक रसीदों (बीआर) एस जी एल फार्मों, सुपुर्दगी पर्चियों,प्रलेखीकरण और लेखांकन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक/प्रधान कार्यालय/निदेशक मंडल के दिशा - निर्देशों का अनुपालन कर रही है ।

4.1.2.4 यह सुनिश्चित किया जाए कि बिक्री या खरीद संबंधी लेनदेन बैंक के लिए लाभप्रद दरों पर किए जाते हैं।

4.1.3 जमा राशियां

4.1.3.1 प्राप्त की गई एवं पुनर्भुगतान की गई जमाराशियों की जांच करना ।

4.1.3.2 बड़ी जमाराशियों पर ब्याज के परिकलन के साथ-साथ जमाराशियों पर अदा किए गए ब्याज की प्रतिशत जाँच।

4.1.3.3 खोले गए नए खातों की जाँच करना। यह देखने के लिए कि कहीं कोई असामान्य परिचालन तो नहीं हो रहा है, नए चालू/बचत खातों के परिचालनों का सत्यापन प्रारंभिक दौर में ही किया जाए। इसकी भी जाँच की जाए कि क्या नए खाते खोलने से संबंधित औपचारिकताओं का अनुपालन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार किया गया है।

4.1.4 अग्रिम

4.1.4.1 यह सुनिश्चित करें कि ऋण और अग्रिम सही ढंग से (अर्थात् उचित संवीक्षा एवं समुचित स्तर पर) मंजूर किए गए हैं।

4.1.4.2 सत्यापित किया जाए कि क्या मंजूरियां प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसार हैं।

4.1.4.3 यह सुनिश्चित करें कि प्रतिभूतियां एवं दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं तथा उन्हें समुचित रूप से प्रभारित/पंजीकृत कर दिया गया है।

4.1.4.4 यह सुनिश्चित करें कि वितरणोत्तर पर्यवेक्षण तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई जैसे कि स्टॉक विवरण की प्राप्ति, किस्तें, सीमाओं का नवीकरण, आदि उचित है।

4.1.4.5 सत्यापित करें कि क्या ऋणों एवं अग्रिमों का कोई दुरूपयोग तो नही किया जा रहा है तथा क्या ऐसे मामले भी हैं जहां निधियों को अन्यत्र खर्च किया गया है।

4.1.4.6 जांच करें कि शाखा द्वारा जारी किए गए साख-पत्र प्रत्यायोजित शक्ति के भीतर हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे वास्तविक व्यापारिक लेनदेनों के लिए जारी किए गए हैं।

4.1.4.7 जारी की गई बैंक गारंटियों की जाँच करें कि क्या उनका पाठ (वर्डिंग) ठीक है और क्या उन्हें बैंक के रजिस्टर में ठीक से दर्ज किया गया है। क्या उन्हें उचित तारीख पर तत्परता से नवीकृत किया गया है।

4.1.4.8 विनिमय के अतिदेय बिलों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।

4.1.4.9 सत्यापित करें कि क्या अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा - निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4.1.4.10 सत्यापित करें कि क्या डी आई सी जी सी तथा ई सी जी सी को दावे समय पर प्रस्तुत किए गए।

4.1.4.11 सत्यापित करें कि प्रत्यायोजित शक्तियों का अतिक्रमण करने के मामलों की सूचना शाखा द्वारा नियंत्रक/प्रधान कार्यालय/निदेशक मंडल को दी गई है तथा अपेक्षित स्तर पर उसकी पुष्टि या अनुमोदन करवा लिया गया है।

4.1.4.12 संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का अतिक्रमण करने के मामलों की बारंबारता तथा उनका औचित्य सत्यपित करें।

4.1.5 विदेशी मुद्रा लेनदेन

4.1.5.1 साख पत्रों के अंतर्गत विदेशी हुंडियों में किए गए लेनदेनों की जाँच करना।

4.1.5.2 एफ सी एन आर तथा अन्य अनिवासी खातों की जाँच करना कि क्या नामे डालना तथा जमा दर्ज करना नियमों के अंतर्गत अनुमत है।

4.1.5.3 जाँच करना कि क्या आवक/जावक विप्रेषाणों को ठीक से हिसाब में लिया गया है।

4.1.5.4 विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बिक्री के लिए वायदा संविदाओं की अवद्यि बढ़ाने एवं उनको निरस्त करने की जाँच करें। यह सुनिश्चित करें कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत किया गया है तथा आवश्यक प्रभारों की वसूली कर ली गई है ।

4.1.5.5 यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न विदेशी मुद्राओं में नास्ट्रो खातों में शेष, बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

4.1.5.6 यह सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा परिचालनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्राओं में जरूरत से अधिक खरीद/बिक्री की स्थिति उचित है ।

4.1.5.7 डीलिंग रूम के परिचालनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.1.5.8 नास्ट्रो तथा वोस्ट्रो खातों के लेनदेनों/बकायों का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित किया जाए।

4.1.6 आंतरिक लेखाकार्य और व्यवस्था (हाउस कीपिंग)

4.1.6.1 यह सुनिश्चित किया जाए कि नकदी एवं सामान्य लेजर के साथ खातों, लेजरों तथा रजिस्टरों का रख-रखाव और मिलान ठीक - ठाक है।

4.1.6.2 अंतर - शाखा तथा अंतर - बैंक खातों, उचंत खातों, फुटकर जमाराशि खातों, ड्राफ्ट खातों इत्यादि में बकाया प्रविष्टियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। बड़े मूल्य की प्रविष्टियों का शीघ्र समायोजन सुनिश्चित करें।

4.1.6.3 ब्याज, बट्टे, कमीशन तथा विनिमय के परिकलनों की प्रतिशत जाँच करें।

4.1.6.4 इस बात की जाँच करें कि क्या आय खाते में राशि नामे लिखने की अनुमति सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दी गई है।

4.1.6.5 स्टाफ खातों के लेनदेनों की जांच करें।

4.1.6.6 समाशोधन के मिलान में अंतर के मामले में यह प्रवृत्ति रही है कि अंतर का पता लगाने के बजाय उसे मध्यवर्ती उचंत खाते में दर्ज़ कर दिया जाता है। यह सत्यापित करने के लिए दैनिक बही की जाँच की जाए कि समाशोधन में अंतरों को किस प्रकार समायोजित किया गया। यदि अंतर बना रहता है तो ऐसे मामलों की सूचना प्रधान कार्यालय/निदेशक मंडल को दी जाए।

4.1.6.7 आय तथा व्यय लेखा/लेनदेनों की सधन जाँच के द्वारा राजस्व में कमी का पता लगाना और उन्हें रोकना।

4.1.6.8 वापस किए गए चेकों/वापस किए गए बिलों के रजिस्टर की जाँच की जाए तथा उन लिखतों की वापसी के कारणों की जाँच करना।

4.1.6.9 आवक और जावक विप्रेषणों (डीडी, एम टी एवं टी टी) की जाँच।

4.1.7 अन्य मदें

4.1.7.1 सुनिश्चित करें कि शाखा आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा रिपोर्टों का उचित अनुपालन करती है।

4.1.7.2 सुनिश्चित करें कि ग्राहकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

4.1.7.3 विवरणों, प्रधान कार्यालय की विवरणियों, सांविधिक विवरणियों का सत्यापन।

4.2 उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है न कि परिपूर्ण। इसलिए, बैंक इस सूची में उन अन्य मदों को भी जोड़ सकते हैं जो उनके विचार में शाखा परिचालनों पर समुचित नियंत्रण के उद्देश्य से उपयोगी हैं। बड़ी शाखाओं में भारी मात्रा में होनेवाले लेनदेनों को देखते हुए संगामी लेखा परीक्षकों के लिए हमेशा शत - प्रतिशत जाँच करना संभव नहीं होगा। इसलिए, वे निम्नलिखित मानदंडों को अपनाने पर विचार कर सकते हैं:

4.2.1 तुलन पत्रेतर मदों (एल सी एवं बी जी) निवेश संविभाग, विदेशी मुद्रा लेनदेनों, धोखाधड़ी प्रवण/संवेदनशील क्षेत्रों ₹5 लाख से अधिक बकाया राशि वाले अग्रिमों जैसे मामलों में, यदि कोई असाधारण लक्षण दिखाई दें तो संगामी लेखा परीक्षक उन मामलों की शत - प्रतिशत जाँच करें।

4.2.2 आय - व्यय मदों, अंतर बैंक तथा अंतर - शाखा लेखांकन, चुकता ब्याज तथा प्राप्त ब्याज, समाशोधन लेनदेनों एवं जमा खातों जैसे क्षेत्रों के मामले में लेनदेनों की संख्या के 10 से 25 प्रतिशत अंश की जांच की जा सकती है।

4.2.3 जहां कुछ क्षेत्रों में किसी शाखा का प्रदर्शन खराब हो या उसकी आंतरिक लेखा एवं व्यवस्था, ऋण एवं अग्रिमों या निवेश की सघन निगरानी की आवश्यकता हो तो संगामी लेखा परीक्षक ऐसे क्षेत्रों की गहन जाँच करें।

4.2.4 संगामी लेखा परीक्षक कम राशि वाले लेनदेनों, भले ही वे संख्या में अधिक हों, पर जांच केंद्रित करने के बज़ाय उच्च मूल्य के उन लेनदेनों पर जांच केंद्रित करें जिनका बैंक पर वित्तीय प्रभाव पड़ता हो।

4.2.5 यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी दिए जाने की आवश्यकता हो तो संगामी लेखा परीक्षकों को उसका कारण देना चाहिए।

4.2.6 संगामी लेखा परीक्षक स्वयं शाखा स्तर/बैंक स्तर पर समस्या वाले क्षेत्रों का पात लागएं और उनका समाधान सुझाएं।

5. लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पारिश्रमिक

5.1 संगामी लेखा परीक्षा बाहय लेखा परीक्षकों (व्यावसायिक रूप से योग्यताप्राप्त सनदी लेखापाल) से करवाई जाए अथवा स्वयं अपने कर्मचारियों से करवाई जाए, इसका विकल्प बैंक पर छोड़ दिया जाए। यदि बैंक इस प्रयोजन के लिए बाहय लेखा परीक्षक नियुक्त करने का निर्णय करता है, तो उनकी नियुक्ति तथा देय पारिश्रमिक की शर्तें निदेशक मंडल तथा/अथवा संबंधित राज्य के निबंधक, सहकारी सोसायटियां द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशा - निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

5.2 जाँचे गए लेनदेनों से संबंधित किसी भी कृत्याकृत्य के लिए लेखा परीक्षा फर्में जिम्मेदार हेंगी। यदि संगामी लेखा परीक्षकों (बाहय) की कार्यप्रणाली में कोई गंभीर कृत्याकृत्य पाया जाता है तो बैंक उनकी नियुक्ति निरस्त करने पर विचार कर सकता है तथा यथोचित कार्रवाई करने के लिए भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान को सूचित करने के साथ - साथ भारतीय रिज़र्व बैंक/निबंधक, सहकारी सोसायटियां को भी सूचित करें।

5.3 यदि बैंक अपने अधिकारियों को लेखा परीक्षा का कार्य सौंपने को तरज़ीह देता है तो बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि संगामी लेखा परीक्षा करते समय आवश्यक स्वतंत्रता और वस्तुपरकता हासिल करने के लिए इन अधिकारियों को काफी अनुभव है और वरीयता प्राप्त है। लेखा परीक्षकों की आवधिक रूप से, चाहे वे आंतरिक हों या बाहय, अदला-बदली करते रहना चाहिए। इसी क्रम में आगे यह विचार भी किया जा सकता है कि बैंक के अधिकारियों के समुचित चयन एवं प्रशिक्षण से लेखा परीक्षा कार्य में अपेक्षित दक्षता विकसित कर लेने पर क्या बाहय लेखा परीक्षकों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

6. सूचना देने की प्रणाली

6.1 संगामी लेखा परीक्षक को चाहिए कि वह मामूली अनियमितताओं, गलत परिकलन आदि की सूचना शाखा प्रबंधक को दें ताकि उन्हें उसी समय सुधारा जा सके और अनुपालन प्रस्तुत किया जा सके।

6.2 यदि इन अनियमितताओं को एक उचित समयावधि जैसे कि एक सप्ताह के भीतर सुधारा नहीं जाता है तो उनकी सूचना प्रधान कार्यालय को दी जाए। यदि लेखा परीक्षक को गंभीर अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं तो उसे तुरंत उसकी सूचना सीधे प्रधान कार्यालय को देनी चाहिए। लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा के औचित्य वाले पहलू पर बल देना होगा। बैंक संगामी लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई

की एक यथोचित प्रणाली शुरू कर सकता है । संगामी लेखा परीक्षा की कार्यपध्दति की एक वार्षिक समीक्षा प्रणाली होनी चाहिए।

7. निष्कर्ष

संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करते समय उसे आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण की अन्य मौजूदा प्रणालियों से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अब तक जो खामियां देखी गई हैं उनमें से एक है आंतरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षणों की विभिन्न प्रणालियों में समन्वय के प्रति तथा लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों/गुणताओं के प्रति संवेदनशीलता का अभाव। यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की संपूर्ण प्रणाली को समुचित रूप से प्रलेखित किया जाय और समेकित लेखा परीक्षा प्रणाली के कार्य - निष्पादन की समय - समय पर समीक्षा की जाए ।